

# यायालय सहायक कलक्टर(उपखण्ड अधिकारी), आबूपर्वत

पीठासीन अधिकारी - श्री डॉ. अंशु प्रिया, आई.ए.एस.

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
सविता कुंवर निवासी पंचायत ओरिया, तहसील देलदर		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार देलदर।

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 125,136 भू.राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व प्रार्थना संख्या 4/2024

दिनांक 12.2.2026

## आदेश

यह कि प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 125, 136 भू.राजस्व अधिनियम प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थीया के संयुक्त खातेदारी की मौजा सालगांव तहसील देलदर में निम्न खसरा नंबर 11 व 9 की कृषि भूमि स्थित है। यह कि प्रार्थीया का सही नाम सविता कुंवर पुत्री मानसिंह है। खसरा नंबर 11 व 9 की जमाबंदी में प्रार्थीया का नाम सविताकुंवर पत्नि मानसिंह दर्ज हो गया है जो गलत है। तहसीलदार देलदर के जरिये पत्रांक 56 दिनांक 19.01.2026 के द्वारा रिपोर्ट में अंकन है कि ग्राम सालगांव में खाता संख्या 58 खसरा संख्या 11 व 9 में दर्ज नाम सविता कुंवर पत्नि मानसिंह है जो गलत दर्ज है सविता कुंवर मानसिंह की पुत्री है जिसकी मौका जांच ग्राम वासियों से कि गई।

हमने बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो एवं बहस पर मनन के आधार पर स्पष्ट है कि प्रार्थीया का खसरा नंबर 11 व 9 की जमाबंदी में प्रार्थीया का नाम सविताकुंवर पत्नि मानसिंह दर्ज हो गया है जो गलत है। जिसे सुधार कर सही नाम खाता संख्या 58 खसरा संख्या 11 व 9 में सविता कुंवर पुत्री मानसिंह दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं। आदेशानुसार जमाबंदी में अप्रार्थी सुधार करे।

(डॉ. अंशु प्रिया) I.A.S.

सहायक कलक्टर(उपखण्ड अधिकारी)  
आबूपर्वत

दिनांक

क्रमांक/कोर्ट/2026/

प्रतिलिपि :- तहसीलदार, देलदर को पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

सहायक कलक्टर(उपखण्ड अधिकारी)  
आबूपर्वत

